उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 525/2026
रानी देवी एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 525/2026
मुफसिल थाना कांड संख्या– 132/2026

---

1. रानी देवी
2. रणवीर कुमार.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से – श्री अमरजीत कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी/सरकार की ओर से – श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

28.04.2026 आवेदकगण **1. रानी देवी एवं 2. रणवीर कुमार** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण पर धारा 109 बीएनएस का आरोप नहीं बनता है। आवेदकगण प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह से इस घटना में शामिल नहीं हैं। प्राथमिकी घटना से 18 दिनों के बाद दर्ज की गयी है, जिस संबंध में सूचक के द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। आवेदकगण बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदकगण के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचिका रेखा कुमारी के टंकित आवेदन के आधार यह है कि दिनांक 25.02.2026 को रात्रि 09:30 बजे सूचिका का पुत्र पढ़ रहा था, तभी करणवीर, रणवीर, अभय, अंकित सभी गाली–गलौज करते हुए लाठी, डंडा से सूचिका के पुत्र कुणाल कुमार पर माथा पर जान मारने के नियत से मारा, जिससे सिर फट गया।

लगाातार

28.04.2026. जब सूचिका बचाने आयी, तो रानी देवी ने सूचिका के बाल पकड़ कर पटक दिया तथा मारपीट की, जिससे सूचिका को सिर में चोट आयी। अंकित ने केस न करने की धमकी दी। सूचिका के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 115(2), 118(1), 126(2), 109 351(2), 352, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण पर सूचिका के पुत्र तथा सूचिका को मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के पैरा 37 में जख्मी कुणाल कुमार के जख्म को साधारण प्रकृति का बताया गया है। आवेदकगण पर लगाए गए आरोप सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदकगण **1. रानी देवी एवं 2. रणवीर कुमार** को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा के साथ एवं विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर औपबंधिक रूप से जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदकगण के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदकगण यह अंडरटेक करेंगे कि वे आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 28.04.2026

प्रतिलिपिः– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति भेजी जाती है।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 28.04.2026